



प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

दिनांक 29.04.2025

जनपद अम्बेडकरनगर थाना टाण्डा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं-122/25 धारा 305(ए),317(2),317(5),61(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तों 01.रणविजय यादव पुत्र स्व0 नन्दा यादव 02.सोनमती पत्नी रणविजय यादव को चोरी किये हुए 05 लाख 47500/-रूपये के साथ किया गया गिरफ्तार।

घटना के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि- दिनांक 29.04.2025 को वादी शशिकान्त ओझा पुत्र गौतम ओझा निवासी चिन्तौरा चौराहा पैकोलिया जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया था कि दिनांक 27.04.2025 को वादी के साथ काम करने वाले रणविजय यादव पुत्र नन्दा यादव वादी के साथ बैठकर खाना खाया तथा रात्रि 09.00 बजे आँधी तूफान आने की वजह से बिजली गुल होने पर वादी छत पर चला गया जब वापस आया तो रणविजय चला गया था। वादी भी अपने कमरे में जाकर सो गया तथा सुबह जब वादी जगा तो बैग में रखे हुए 05 लाख 50,000/- रूपये गायब थे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चोरी का शीघ्र अनावरण हेतु थाना स्थानीय पर पुलिस टीम गठित कर अभियुक्त की तलाश की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री केशव कुमार के निर्देशानुसार जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.04.2025 को थाना टाण्डा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 122/25 धारा 305(ए) से सम्बन्धित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी तभी मुखबिर द्वारा सूचना पर चोरी की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त त्रिमुहानी हाईवे पर है। जिनको पुलिस टीम द्वारा तत्काल त्वरित कार्यवाही करते हुए घेराबन्दी कर पकड़ लिया गया। पुलिस टीम द्वारा पुछताछ करने पर अपना नाम रणविजय यादव पुत्र स्व0 नन्दा यादव उम्र 48 वर्ष निवासी अराजी देवारा देवमूरत का पूरा थाना राजेसुल्तानपुर तथा जामातलाशी लेने पर 47,500/-बरामद किये गये। अभियुक्त रणविजय उपरोक्त की निशानदेही पर घटना से सम्बन्धित दूसरी अभियुक्त 02. सोनमती पत्नी रणविजय यादव निवासी उपरोक्त को उसके घर पर भूसे की मड़ई में गड़े 05 लाख/-रु को खोदकर निकाला गया समय करीब 14.43 बजे गिरफ्तार कर बाद विधिक कार्यवाही मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01.रणविजय यादव पुत्र स्व0 नन्दा यादव उम्र 48 वर्ष निवासी अराजी देवारा देवमूरत का पूरा थाना राजेसुल्तानपुर।

02.सोनमती पत्नी रणविजय यादव उम्र 46 वर्ष निवासी अराजी देवारा देवमूरत का पूरा थाना राजेसुल्तानपुर।

विवरण अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं-122/25 धारा 305(ए) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2),317(5),61(2) बीएनएस थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर।
मु0अ0सं0 220/20 धारा 323,504,506 भादवि0 व 3(1)(10) द, ध एससी एसटी एक्ट थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर।(रणविजय से सम्बन्धित)

विवरण बरामदगी-

चोरी के 05 लाख 47500/-रूपये

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

प्र0नि0 दीपक सिंह रघुवंशी

उ0नि0 अरविन्द वर्मा

उ0नि0 राम प्रकाश सिंह

हे0का0 अवध नारायण यादव

हे0का0 फूलचन्द

का0 आशीष शुक्ला

म0का0 सोनी